सत्यमेव जयते
Goverment Of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

दिनांक: 18-19 जुलाई, 2024

स्थान: कलेक्टर कार्यालय, जिला - नन्दुरबार (महाराष्ट्र)

छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली -110003
6th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003
Tel.: 011-24623958 Fax: 011-24624628 Email: chairperson@ncst.nic.in

श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 09/07/2024 से 28/07/2024 तक मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रवास के दौरान दिनांक 18-19 जुलाई, 2024 को नंदूरबार जिले का दौरा एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वायरलेस संदेश क्रं TP/CP/NCST/2024 दिनांक 10-07-2024 के क्रम में श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नेतृत्व में एक दल ने दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के नन्दुरबार जिले का दौरा किया जिसमें श्री राकेश कुमार दुबे, उपनिदेशक, श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, श्री गोवर्धन मुण्डे, वरिष्ठ अन्वेषक, श्री प्रकाश कुमार उईके, सहायक निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष एवं श्री अमृत प्रजापति, सलाहकार ने सहभागिता की।

नन्दुरबार जिले की समीक्षा बैठक के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आयोग के, वरिष्ठ अन्वेषक श्री गोर्वधन मुण्डे को नन्दुरबार जिले में भ्रमण के लिए भेजा गया था। इस दौरान श्री गोवर्धन मुण्डे द्वारा छात्रावासों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों एवं अव्यवस्थाओं से माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज नाट्यगृह, नन्दुरबार

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नन्दुरबार में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज नाट्यगृह में आयोजित एक कार्यक्रम में सहभागिता की एवं सैंकड़ो की संख्या में उपस्थित जनजातीय समाज के लोगों को संबोधित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण समाज के लोगों को एक साथ मिलकर करना चाहिए। आदिवासी भाषाओं एवं संस्कृति का संरक्षण हमें मिलकर ही करना होगा। आगे उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति के युवाओं से 'संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसके माध्यम से देश के युवाओं से सीधा जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। वनाधिकार एवं व्यक्तिगत दावों में आ रही परेशानियों का निराकरण करने के लिए आयोग द्वारा एक समिति बनाने का भी सुझाव माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया। क्षेत्र में सरदार सरोवर बांध के पुनर्वास में आ रही परेशानियों को भी संज्ञान मे लेकर निराकरण करने की बात कही।

शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास, तलोदा, जिला बुरहानपुर

दिनांक 18-07-2024 को माननीय अध्यक्ष ने तलोदा आदिवासी परियोजना के अन्तर्गत शासकीय आदिवासी बालक छात्रवासों का निरीक्षण किया। परिसर में 3 छात्रावास पुराने भवन तथा 2 नये भवन में संचालित हो रहे हैं। यद्यपि उक्त

छात्रावास आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से मात्र 3.1 किलोमीटर ही दूर स्थित है तथापि इन छात्रावासों की स्थिति बहुत ही दयनीय पाई गई। माननीय अध्यक्ष ने छात्रावासों के भीतर शौचालय, छात्रों के कक्ष में रखे पलंग, पंखे तथा रसोईघर का भी निरीक्षण किया।

- **शौचालय-** शौचालयों की साफ-सफाई नहीं की गई थी तथा गंदगी अधिक थी एवं कुछ शौचालयों के दरवाजे जर्जर अवस्था मे थे।
- **परिसर-** परिसर में गुटखों के थूकने के निशान देखे गये तथा साफ-सफाई नहीं होने के कारण गंदगी पाई गई। छात्रावास का प्रवेश द्वार की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त थी।

- **शयन कक्ष-** छात्रों के कक्ष में गद्दे फटे एवं पुराने थे, कक्ष में साफ-सफाई नहीं थी तथा कुछ पंखे भी बंद पाए गए। छात्रों ने बताया कि पलंग एवं गद्दे न होने के कारण हमें नीचे ही सोना पड़ता हैं।
- **रसोईघर-** माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा रसोईघर में भी गंदगी देखी गई। रसाईघर में कहीं भी प्रतिदिन बनने वाले भोजन की सूची प्रदर्शित नहीं की गई थी। खाना पकाने का सामान भी अव्यवस्थित पाया गया।
- **छात्रावास में खेल मैदान-** माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा छात्रावास परिसर का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि मैदान में गड्डे होने के कारण छात्रों को खेलने में परेशानी होती हैं।

खेल परिसर में माननीय अध्यक्ष महोदय ने छात्रों से चर्चा की। छात्रों ने बताया कि हमें गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिलता हैं।

छात्रावास में पढ़ाई करने के लिए टेबल नहीं है और न ही छात्रावास परिसर में लाईब्रेरी की कोई व्यवस्था है। छात्रावास से विद्यालय 5 किलोमीटर दूरी पर होने के कारण आने-जाने में परेशानी होती है। परियोजना अधिकारी द्वारा भी नियमित रुप से छात्रावास का निरीक्षण नहीं किया जाता है। रसोई घर का खाना गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण बहुत सारा खाना फेंक दिया जाता हैं। छात्रों ने बताया कि भोजन सूची के अनुसार खाना भी नहीं दिया जाता है।

छात्रों ने चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय को बताया कि छात्रावास परिसर के मुख्य द्वार पर दरवाजा एवं द्वारपाल न होने के कारण बाहरी व्यक्ति सुबह के समय परिसर के अन्दर शौच करने के लिए आ जाते हैं जिसके कारण परिसर में बहुत गंदगी रहती है। इस वजह से छात्रों को प्रात:काल सैर एवं शारीरिक व्यायाम करने में असुविधा होती हैं।

छात्रावास के निरीक्षण के पश्चात आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने परिसर में उपस्थित आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त, नाशिक एवं परियोजना अधिकारी को निर्देश दिया कि छात्रावास के संचालन में बरती जा रही लापरवाही के कारण छात्रावास अधीक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाही की जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से चर्चा:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18-07-2024 को नन्दुरबार जिले के सर्किट हाउस में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसका विवरण इस प्रकार है:

- क्षेत्र में वनाधिकार के अन्तर्गत व्यक्तिगत दावों से जुड़ी अत्यधिक समस्यायें हैं। वर्षों से भूमि पर निवासरत होने के बावजूद जनजातीय परिवारों को उस भूमि का पट्टा नहीं दिया जा रहा हैं।
- जिले में जो गैर-सरकारी संस्थायें अपना कार्य संचालित कर रही हैं, उनके कार्यों की निगरानी के लिए शासन द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए।
- क्षेत्र में जनजातीय परिवारों द्वारा धर्मांतरण की गंभीर समस्या है जिसके कारण उनकी संस्कृति एवं परंपरा प्रभावित हो रही हैं।
- सुदूरवर्ती गांवों एवं बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य एवं मोबाईल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जिससे वहां निवासरत् जनजातीय परिवारों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।
- जिले में कई ग्रामपंचायतें ऐसी है जिनमें पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन नहीं हो पाया हैं।

समीक्षा बैठक का विवरण

दिनांक 25 जुलाई, 2024 को माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय, नन्दुरबार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में नन्दुरबार जिला कलेक्टर के स्थान पर श्री धनन्जय गोगटे अतिरिक्त कलेक्टर उपस्थित थे। सर्वप्रथम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विभागवार अपना परिचय दिया गया। उसके उपरांत श्री राकेश कुमार दुबे, उपनिदेशक द्वारा आयोग के गठन, कार्य तथा शक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। प्रशासन के अधिकारियों ने अपने विभाग की जानकारियां आयोग के समक्ष तथ्यात्मक रुप से क्रमवार उपलब्ध कराई गई जिसका विवरण इस प्रकार है:

सामान्य जानकारी

नन्दुरबार महाराष्ट्र राज्य का जनजातीय बहुल जिला है, जिसकी सीमा मध्यप्रदेश एवं गुजरात राज्य से लगती है। जिले की 2 तहसीलें (धडगांव एवं अक्कलकुआं) सुदूरवर्ती क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 59.27% है।

योजना एवं कार्यक्रमों की तथ्यात्मक जानकारी

- **जनसंख्या**: नन्दुरबार जिले की कुल जनसंख्या 16,48,295 है। जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 9,77,010 (59.27%) है।
- **शिक्षा:** जिले की कुल साक्षरता दर 64.38% है तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय में साक्षरता दर 55.03 % है। अनुसूचित जनजाति में पुरूष साक्षरता दर 63.16% तथा महिला साक्षरता दर 47.04% है। आयोग द्वारा जिला प्रशासन को अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने का निर्देश दिया गया। जिले में बच्चों द्वारा शाला त्यागने की दर अधिक होने के संबंध में आयोग द्वारा प्रश्न किए जाने पर बताया गया कि जिले में अनुसूचित जनजाति परिवारों के समीपवर्ती राज्यों में रोजगार हेतु पलायन किए जाने की समस्या अधिक है। इस कार बच्चें भी साथ चले जाते हैं और उनका विद्यालय छूट जाता है। विभाग द्वारा यह भी बताया कि साक्षरता बढ़ाने एवं विद्यालयों में प्रवेश को प्रोत्साहन देने हेतु जिले में उल्लास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा। साथ ही यह भी जानकारी प्रदान की गई कि शाला त्यागने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सर्वे कराया गया है। जो बच्चें शाला त्यागी हैं, उन्हें एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड से वे प्रदेश में किसी भी शासकीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते है एवं कार्ड में अंकित शैक्षणिक स्थिति के अनुसार बालक को विभाग द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश एवं प्रोन्नत किया जाता है।

जिलों में शिक्षकों की कमी के संबंध में विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि पेसा क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती का प्रकरण उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के कारण वर्ष 2017 के बाद से शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं हुई है। इस वर्ष स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स या सेवानिवृत शिक्षकों से सेवा लेने

के लिए शासन द्वारा स्वीकृति मिली हुई है। यह भर्ती होने के पश्चात शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकता हैं। आयोग द्वारा विभाग को 15 दिन के भीतर इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देश दिया गया।

- **स्वास्थ्य**- जिले में स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया कि जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों की कमी के कारण विभाग को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं। जिले की अक्कलकुआ एवं धड़गांव जनजातीय विकासखण्ड सुदूरवर्ती होने कारण तथा वहां नेटवर्क न मिलने के कारण वहां कोई डॉक्टर अपनी पदस्थापना करवाना नहीं चाहता है। इन क्षेत्रों में गांवों तक जाने के लिए पूर्ण विकसित सड़क मार्ग न होने के कारण बारिश के समय बहुत समस्यायें आती हैं। अक्कलकुआ विकासखण्ड में सोनोग्राफी की सुविधा शुरु हो चुकी है तथा प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवा में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।

  संस्थागत प्रसव के बारे में जानकारी देते हुए विभाग द्वारा बताया गया कि जिला चिकित्सालय में प्रसव के रेफरेल प्रकरण अधिक संख्या में आते है। नर्मदा घाटी में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय को जिला चिकित्सालय तक लाने के लिए संसाधन एवं खराब सड़कों के कारण डिलिवरी में कई प्रकार की समस्यायें आती है। तथापि विभाग के प्रयासों से संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई हैं।

  सिकल सेल एनीमिया की जानकारी देते हुए विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में वर्ष 2023 में 10,48,000 लोगों की सिकल सेल एनीमिया

स्क्रिनिंग की गई। जिसमें 4700 व्यक्ति केरियर तथा 1078 व्यक्ति पॉजीटिव पाये गये।

आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग की पूर्ण जानकारी जिसमें स्वास्थ्य विभाग में अलग-अलग स्तर के कुल स्वीकृत पद, रिक्त पद की जानकारी, उपलब्ध संसाधनों की स्थिति, जिले में स्वास्थ्य की स्थिति (CDR, MDR, Vaccination, Ayushman Card, Institutional Delivery, Health Institutions) एवं विभाग के समक्ष आने वाली कठिनाईयों की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

- **वनाधिकार अधिनियम-** विभाग द्वारा वनाधिकार अधिनियम की जानकारी देते हुए आयोग को बताया कि जिले में 47,869 व्यक्तिगत दावें प्राप्त हुए थे उनमें से 27,205 दावें जांच उपरांत स्वीकृत किये गये। 348 सामुदायिक दावें प्राप्त हुए जिनमें से 330 दावों को मान्य किया गया।

बैठक में जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई जानकारी अपूर्ण होने के कारण आयोग द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही निर्देश दिया कि वनाधिकार एवं पेसा कानून के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी एवं आंकड़े आयोग को उपलब्ध कराई जाये। जिले में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावों में कितने प्रकरण, कितने समय (3 माह से कम, 3 से 6 माह, 6 से 9 माह, 9 से 12 माह एवं 12 माह से अधिक समय तक) से लंबित हैं, इनकी विस्तृत जानकारी आयोग को उपलब्ध कराये। इसके साथ ही वनाधिकार से जुड़े मामलों का पुन: परीक्षण कर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाये।

- **ग्रामों में बिजली व्यवस्था**- आयोग द्वारा जनजातीय ग्रामों में बिजली की उपलब्धता को लेकर प्रश्न किया गया, जिसके जवाब में विभाग द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि जिन स्थानों पर बिजली खंभे एवं तारों के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, वहां सभी ग्रामों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बिजली पहुंचाई गई है। ऐसे स्थान जो कि उंचाई या पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, उन स्थानों पर सौलर से बिजली प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- **प्रधानमंत्री सड़क योजना-** बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ी जानकारी किसी भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। आयोग द्वारा इस विषय पर असंतोष जताते हुए विस्तृत जानकारी आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया।
- **पेयजल-** जिले में पेयजल की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए भी विभाग से कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं थे। आयोग द्वारा निर्देश दिया गया कि इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्ण जानकारी भेजी जाए।
- **वित्तीय समावेश-** बैठक में लीड बैंक मैनेजर उपस्थित नहीं होने के कारण आयोग द्वारा जिले के सहायक कलेक्टर को निर्देशित किया कि जिले में जनधन योजना के अंतर्गत कुल कितने खाते खोले गये तथा इनमें से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खाते कितने है, इसकी विस्तृत जानकारी आयोग को भेजी जाए। इसके अतिरिक्त जिले में मुद्रा लोन योजना के अन्तर्गत कुल प्राप्त आवेदन, अनुसूचित जनजाति के प्राप्त आवेदन तथा कुल स्वीकृत आवेदन एवं प्रदत्त लोन की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना-** बैठक में विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास की जानकारी उपलब्ध कराई गई जिसके अन्तर्गत बताया कि जिले में 1,02,880 मकान बन गये तथा 1,30,000 मकान शेष हैं। अगले लक्ष्य में इन शेष आवासों का निर्माण किया जायेगा।
- **शबरी घरकुल योजना-** शबरी घरकुल योजना के अन्तर्गत जानकारी प्रदान की गई, जिसके अन्तर्गत 40,000 मकान बनाने का लक्ष्य था उनमें से केवल 10,800 मकानों का ही निर्माण हो सका है। दो वर्ष से विभाग को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जिसके कारण कम संख्या में मकानों का निर्माण किया गया हैं।

  प्रधानमंत्री आवास एवं शबरी घरकुल योजना के अन्तर्गत कम मकान निर्माण होने के कारण आयोग द्वारा रोष व्यक्त किया गया तथा प्रशासन को निर्देश दिया कि लक्ष्य प्राप्त होने पर जनजातीय परिवारों को मकान उपलब्ध कराया जाये।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि-** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में इस योजना के अन्तर्गत 97% पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो रहा है तथा केवल 3% प्रकरण ही शेष है जो बैंक खातों के लिंक होने में आ रही परेशानियों से संबंधित है।
- **उज्ज्वला योजना**- उज्ज्वला योजना फेज-1 में 99,978 हितग्राहियों को कनेक्शन प्रदान किये गये हैं तथा फेज-2 में कुल 37,000 हितग्राहियों को कनेक्शन दिये गये हैं। इस योजनान्तर्गत जिले के कुल 3,53,000 कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। जिले में 70,000 परिवार अभी उज्ज्वला योजना का लाभ लेने में शेष हैं।

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**- विभाग द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि वर्ष 2022-23 में 94,000 किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराया गया।
- **एट्रोसिटी प्रकरण-** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2021 में 7 प्रकरण, 2022 में 5, 2023 में 6 तथा वर्ष 2024 में 7 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। इस अधिनियम के तहत शासन द्वारा बजट उपलब्ध नहीं कराने के कारण 8 प्रकरणों में राहत राशि का भुगतान नहीं किया जा सका।
- **कौशल विकास एवं रोजगार सृजन-** आयोग द्वारा संबंधित विभाग से रोजगार सृजन के विषय पर बात करते हुए जिले में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी मांगी गई। साथ ही जिले में हो रहे मजदूरों के पलायन के परिप्रेक्ष्य में योजना कितनी कारगर है, इस बारे में भी प्रश्न किया गया। विभाग द्वारा आयोग को बताया गया कि 1अप्रैल 2024 से मनरेगा योजनातंर्गत दैनिक मजदूरी को केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाकर 293/- प्रतिदिन कर दिया गया है। विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि वर्ष 2020-21 में मनरेगा आयुक्त द्वारा योजना में 22,21,000 मानव दिवस का लक्ष्य जिले को दिया गया था, जिसके विरूद्ध में 30,66,000 (138%) मानव दिवसों का रोजगार विभाग द्वारा सृजित किया गया जिसमें से अनुसूचित जनजाति के मानव दिवस 27,41,000 थे। वर्ष 2021-22 में 26,24,000 मानव दिवस का लक्ष्य जिले को दिया गया था, जिसे शत-प्रतिशत पूरा किया गया। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लक्ष्य क्रमश: 20,13,000 एवं 18,34,000 मानव दिवसों का था, जिसके विरूद्ध में

20,02,000 एवं 22,64,00 मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। चालू वित्त वर्ष में विभाग को 15,16,000 मानव दिवस का लक्ष्य दिया गया है जिसके विरूद्ध अभी तक 9,88,000 (65%) मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के मानव दिवस 7,80,000 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्भोदन - जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण विभागों के आंकड़े नहीं होने तथा जिला कलेक्टर के अनुपस्थित होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई तथा प्रशासन को निर्देशित किया गया कि विभागाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने विभाग में दौरा करके जिले की स्थिति को सुधारा जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा जिले में स्थित छात्रावासों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है एवं तलोदा स्थित छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्रों की दुर्दशा को देखकर वे अत्यंत विचलित हुए हैं। वनाधिकार के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि जिले में वनाधिकार से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो इन प्रकरणों की जांच बारीकी से करें। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि मनरेगा योजना में उपलब्ध बजट का उपयोग करके सड़कों के किनारों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। जिले में पुनर्वास से जुड़े जो मुद्दें हैं, उनका निराकरण संवेदनशीलता के साथ करें।

संलग्नक - प्रतिभागियों की सूची

Review Meeting in the chairmanship of Hon. Shri Antarsing Arya, chairperson, NCST

PAGE NO.

DATE

Date 19/07/24 11:30 AM

अ.क्र.	नाव	पदनाम	स्वाक्षरी
1	मा. अंतरसिंग आर्या	मा. अध्यक्ष, NCST.	[signature] 19-7/024
2.	श्री धनंजय गोगटे	जिल्हाधिकारी, नंदुरबार	[signature]
3.	श्रीमती नीनू सामराज	CCF Dhule, Nan	[signature]
4.	श्री. श्रवण दत्त	पोलीस अधीक्षक नंदुरबार	[signature]
5.	श्री सावन कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नंदुरबार	[signature]
6	श्री. आर. के. दुबे	उपसंचालक, NCST	[signature]
7	...वर्धन मुंडे SI	वरिष्ठ अन्वेषक NCST	[signature]
8	अंकित कुमार सेन	अनु. अधिकारी.	[signature]
9	संदिप द. गोलाईत	अपर आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक	[signature]
10	Natisha	SDO, P.O. Taloda	[signature]
11	श्री. चंद्रकांत पवार	PO, ITDP Nandurbar	[signature]
12	प्रमोद पाटिल	PO ITDP Dhule	[signature]
14	कृष्णा भवर, भावले	उपवनसंरक्षक (YD) नंदुरबार	Bhavar

अ.क्र.	नाव	पदनाम	स्वाक्षरी	अ.क्र.
15	नितिन कुमार सिंग	उपवनसंरक्षक, धुळे	[signature]	2
16	एन आर तोरवणे	नियोजन अधिकारी	[signature]	27
17	योगेन्द्र चौधरी	जिल्हा नियोजन कार्यालय	[signature]	28
18	उत्तम नागोजी राऊत	सहा. प्रकल्प अधिकारी	[signature]	
19	गणेश मिसाळ	जिल्हा पुरवठा अधिकारी नंदुरबार	[signature]	2
20	महेश चौधरी	उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) नंदुरबार	[signature]	3
21.	जयवंत द. उगले	Dy. CEO (VP)	[signature]	3
22.	श्री. निलेश मोतीराम लोखंडे	Dy. Edu. Officer (Pri)	[signature]	3
23	श्री. भावेश नाना सोनवणे	उपशिक्षणाधिकारी (माध्य/योजना)	[signature]	
24	हरी रामा सोनवणे	ले.अ. जि.प. नंदुरबार	[signature]	33
25	रणजितसिंह राजपूत	जिल्हा माहिती अधिकारी	[signature]	
26	बापू डुकळे,	दुकाने निरीक्षक धुळे (प्रतिनियुक्ती) कामगार विभाग	[signature]	34
27	हितेश पाटील	शबरी आदि. महामंडळ शाखा व्यवस्थापक	[signature]	35
28	शुभम रविंद्र अकोले	MIS, महिला आर्थिक विकास महामंडळ	[signature]	3
29	प्रकाश एन गावीत	FRA coordinator	[signature]	3

अ.क्र.	नाव	पदनाम	स्वाक्षरी
26)	(सहायक प्रकल्प) सायराबानू एल हिवरे	स. प्र. अधिकारी	
27)	मयुर कानडे (जि. पु. कार्यालय, नंदुरबार)	प्रणाली अभियंता (PDS)	
28	संदीप चोपडकर, ~~संशोधन अधिकारी~~ नंदुरबार जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती	संशोधन अधिकारी	
29.	अनिल गावंडे (सह. महसूल)	जि. का. नंदुरबार	
30)	हर्षल सोनार District Coordinator FRA	District office Nandurbar	
31)	विश्वजित पुंडलिक पाटील APO DRDA	APO DRDA	
32)	प्रमोद राठोड Project coordinator, ITDP, Tal.	प्रकल्प समन्वयक ITDP	
33)	गोविंदा साळुंके Project Coordinator ITDP Taloda	"	
34.	नरेंद्रकुमार जी. शेंडे सा. बां. (आदिवासी) उपविभाग तळोदा	उपविभागीय अधिकारी	
35)	अरविंद प्र. चौधरी सा. बां. (आदिवासी) उपविभाग नंदुरबार	उपविभागीय अभियंता	
36	जितेंद्र प. कुवर [illegible]	पुनर्वसन अधिकारी SSP	
37	Mrs. Kalpana Thube, Dy. Collector, SSP, Nandurbar.	Dy. Collector	19/07/2014

38	निरज भ. चौधरी	सहाय्यक निबंधक आदिन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नंदुरबार प्रतिनिधी		53 54
३९.	अंकुश अ. पाडवे.	कार्यकारी अभियंता, सा. बां. वि., नंदुरबार.		55
40.	मयुर वसावे	कार्यकारी अभियंता सा. बां. विभाग, शहादा		56 57
४१	अनिल बोरसे	अधिक्षक अभियंता महावितरण		58
42	एन. एम. काकडे	सहा. प्र. अधिकारी (विकास) नंदुरबार		59
43)	एस. एन. काकडे.	सहा. प्र. अ. नंदुरबार	सां. काकडे	60
44)	किरणकुमार खेडकर	पो.नि., स्था. गु. शा.		61.
45)	डॉ. वानुला एस. एम.	RMO (OR) Civil Hospital Nandu		62
46)	S. J. Raut	D.D.A - SAO office Nandur		63 64
47)	M.P. Pawar	Techanical Officer SDAO Nandurbar		
48.	L.D. Bhoye	Asst Agri. officer Z.P. Nandurbar		65 66
49	R.S. pawar	Agri. officer Z.P. Nandurbar	Pawar	
50	K. B. Pawara	उप आयुक्त आदि. नंदुरबार प्रकल्प (विकास)		
51	Sanjeev D. Pawar.	E.E. (Works Div) ZP NDB		
52	Manoj P. Patil	Assi. Project officer ITDP Dhule.		

53	श्री. सोनवणे, स. कि.	जिल्हा समाज कल्याण, जि.प. नंदुरबार यांचे प्रतिनिधी	
54	एस. पी. महाजन, कु. लि.	सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, नंदुरबार, (प्रतिनिधी)	Mahajan 19.7.2024.
55	कृष्णा राठोड ~~Dy CEO~~	Dy. CEO (Leps)	
56)	डॉ. सोनवणे आर. बी.	DHO, Nandurbar	
57	सचिन दिनेश गांधुर्डे	LDM Nandurbar	
58	शंकर बा. जाधव	कौ. वि. रो. व. उ. मार्गदर्शन अधिकारी	
59	वि. रा. रिसे	सहा. आयुक्त, कौशल्य विकास	
60	धनंजय ग. पवार	ACF, Nandurbar Forest Division	
61.	संजय साळुंके	सहा. वनसंरक्षक शहादा नंदुरबार वनविभाग	Sanjay.
62	रोशन बुवा	सहा. वनसंरक्षक (Probational) नंदुरबार	
63	सुजीत गवळी	सहा. वनसंरक्षक, मेवासी वन विभाग, तळोदा	
64	पांडुरंग कोल्हे	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) जि.प. नंदुरबार	
65	गोविंदा दाणेज	उपजिल्हाधिकारी नंदुरबार	
66	योगेश गावीत	ITDP नंदुरबार	